

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 269/2025

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.



अशफाक मोहम्मद पुत्र सादक मोहम्मद
लियाकत अली पुत्र सादक मोहम्मद
असलम खां पुत्र मुनसब अली
कुरेशा पत्नी अल्लादिता

जाति समस्त मुसलमान निवासी फतेहपुर
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम

कर्मा पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)

शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़

शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा 49 एन.जी.सी. हनुमानगढ़

शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा सुरेवाला

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :-

श्री हरबंस सिंह झोरड़ - वकील वादीगण

श्री परविन्द्र सिंह - वकील प्रति.सं. 1

श्री गुरविन्द सिंह राजपाल सिंह वकील प्रति.सं.4

निर्णय

दिनांक:- 24.3.2026

वादीगण अशफाक मोहम्मद वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 28.05.2025 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41 पटवार हल्का शेरगढ़ खाता अस्फाक हुसैन आदि में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कुल कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

हायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



प.नं	मु.नं	कि.नं.
164/248	59	2/1/0.228, 2/2/0.025 है. गै. मु.खाला 3/1/0.228, 3/2/0.025 है. गै. मु.खाला 4/1/0.228, 4/2/0.025 है. गै. मु.खाला 5/1/0.202, 5/2/0.025 है. गै. मु.खाला 5/3/0.026 गै. मु.खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 है. गै. मु.खाला 7,8,9,12,13,14/0.253 है. प्र. नहरी 15/1/0.228, 15/2/0.025 है. गै. मु.खाला 17,18,23,14/0.253 है. प्र. नहरी 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. गै. मु. खाला 9,10,11/0.253 है. प्र. नहरी, 12/0.190 है., 12/1/0.063 है. गै. मु.ढाणी, 13,14/0.253 है. प्र. 15/1/0.228, 15/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता, 17,18,19,20,21,22,23,24/0.253 है. प्र. नहरी, 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता कुल 8.855 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि।
165/248	58	

वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में बंटवारा कर रखा है। बंटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। बंटवारा अनुसार वादीगण को निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है रु—

(क) वादी सं. 1 अशाफाक मोहम्मद के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक. नं. 19 एफ.टी.पी. ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	2/1/0.228, 2/2/0.025 है. गै. मु.खाला 3/1/0.228, 3/2/0.025 है. गै. मु.खाला 4/1/0.152, 4/2/0.016 है. गै. मु.खाला 7/0.169, 8,9,12,13/0.253 है. प्र. नहरी 14/0.169, 18/0.238, 23/0.015 13/0.1265 है. 14/0.063 है. कुल 2.4665 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि।
165/248	58	

अपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) वादी सं. 2 लियाकत अली के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि रु-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	4/1/0.076, 4/2/0.009 है. 5/1/0.202, 5/2/0.025 है. 5/3/0.026 है. 6/1/0.228, 6/2/0.025 है. 7/0.084, 14/0.084, 15/1/0.228, 15/2/0.025 है.
165/248	58	9,10,11,12/1.012 है. 13/0.1265 है. 14/0.063 है. कुल 2.2135 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) वादी सं. 3 असलम खां के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	16/0.127, 18/0.015, 17/0.253 है. 23/0.238, 24/0.253, 25/0.126 कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

(घ) वादी सं. 4 कुरेशा के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	16/1/0.101, 16/2/0.025 है. 25/1/0.102, 25/2/0.025 है.
165/248	58	14/0.127, 15/1/0.041 है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है, 17ता 24/2.024 है. 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. कुल 2.951 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ङ) प्रतिवादी सं. 1 कर्मा के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

महसुल कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

165/248

58

15/1/0.187 है., 15/2/0.025 है.

कुल 0.212 है. नहरी गय गै.मु. कृषि भूमि।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त में है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त भूमि बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण का खाता अलग न होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर नुरा प्रभाव पड़ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक धरु विभाजन हो गया है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी को प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर काफी समय से काबिज होकर शान्तिपूर्वक ढंग से काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन वादी के हक व हिस्सा अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादी को रकमराज, पानी बारी व कृषि भूमि ऋण आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही है, इसलिए वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादी का खाता अलग से कायम करवा देवे, कई बार अनुनय विनय करने पर पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन गत सप्ताह प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पूर्णतया इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 बैंक ने जवाब पेश कर बैंक हित को ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश कर राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 19 एफ.टी. पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41 EX-1 प्रदर्श पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी असलम खां का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक वादीगण ने चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41 पेश की जिसका वकील प्रतिवादी ने कोई विरोध दर्ज नही करवाया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण ओर से जमाबन्दी चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41 कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादीगण का जन्म से हित एवं


महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स्वत्व है। अभिभाषक वादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 सहमत है।

न्यायालय के मत में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री जारी किया जाना उचित है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

(क) वादी सं. 1 इरफाक मोहम्मद के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	2/1/0.228, 2/2/0.025 है. गै.मु.खाला
		3/1/0.228, 3/2/0.025 है. गै.मु.खाला
		4/1/0.152, 4/2/0.016 है. गै.मु.खाला
		7/0.169, 8,9,12,13/0.253 है. प्र.नहरी
		14/0.169, 18/0.238, 23/0.015
165/248	58	13/0.1265 है. 14/0.063 है.
		कुल 2.4665 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ख) वादी सं. 2 लियाकत अली के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि रु-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	4/1/0.076, 4/2/0.009 है.
		5/1/0.202, 5/2/0.025 है.
		5/3/0.026 है.
		6/1/0.228, 6/2/0.025 है.
		7/0.084, 14/0.084,
		15/1/0.228, 15/2/0.025 है.
165/248	58	9,10,11,12/1.012 है. 13/0.1265 है.
		14/0.063 है.
		कुल 2.2135 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि


 मुख्यक कलेक्टर एवं
 जपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

(ग) वादी सं. 3 असलम खां के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	16/0.127, 18/0.015, 17/0.253 है. 23/0.238, 24/0.253, 25/0.126 कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

(घ) वादी सं. 4 कुरेशा के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/248	59	16/1/0.101, 16/2/0.025 है. 25/1/0.102, 25/2/0.025 है.
165/248	58	14/0.127, 15/1/0.041 है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है., 17ता 24/2.024 है. 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. कुल 2.951 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ङ) प्रतिवादी सं. 1 कर्मा के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक नं. 19 एफ.टी.पी. जं.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 15/41

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/248	58	15/1/0.187 है., 15/2/0.025 है. कुल 0.212 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी संगरिया